बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या– प्रो० - 109/22(सांख्यिकी) - 4726 कृ0, पटना, दिनांक......23/08/ 2022

प्रेषक,

डॉ० एन० सरवण कुमार
सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषयः– **डीजल अनुदान खरीफ–2022 के क्रियान्वयन अनुदेश ज्ञापांक संख्या–4197, दिनांक–29.07.2022 में आंशिक संशोधन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि डीजल अनुदान खरीफ–2022 के क्रियान्वयन अनुदेश कृषि निदेशालय के ज्ञापांक संख्या–4197, दिनांक–29.07.2022 द्वारा पूर्व से निर्गत है इसके अलावे डीजल अनुदान हेतु प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु क्रियान्वयन अनुदेशों की स्पष्टता हेतु कुछ निर्णय इस कार्यालय के पत्रांक–4567, दिनांक 11.08.2022 के माध्यम से संसूचित किया गया है।

क्षेत्र से प्राप्त शिकायत/कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये ऊपर वर्णित पत्रों के माध्यम से दिये गये निदेश के अतिरिक्त निम्न निदेश दिये जाते हैः–

1. पूर्व से निर्गत क्रियान्वयन अनुदेश के अनुसार डिजिटल/कम्प्यूटर वाउचर में पेट्रोल पम्प द्वारा किसान निबंधन संख्या का अंतिम 10 डिजिट अंकित करने में कठिनाई होने की स्थिति में किसान के द्वारा स्वयं किसान निबंधन संख्या को वाउचर के ऊपर अपने नाम के साथ अंकित करेंगे एवं अपना हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावे वाउचर से संबंधित पूर्व से निर्गत निदेश यथावत् रहेंगे।
2. क्रियान्वयन अनुदेश कृषि निदेशालय के ज्ञापांक संख्या–4197, दिनांक–29.07.2022 के कंडिका–2.3 को निम्न रूप से संशोधित किया जाता हैः–

   वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं (गैर रैयत), उन्हें प्रमाणित/सत्यापित करने के लिए सम्बन्धित वार्ड सदस्य/मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति सदस्य मे से एक जनप्रतिनिधि एवं कृषि समन्वयक के द्वारा संयुक्त रूप से विहित प्रपत्र में हस्ताक्षरित दस्तावेज की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

   पूर्व से निर्गत क्रियान्वयन अनुदेशों एवं उपरोक्त निदेश को अविलंब क्षेत्रीय पदाधिकारियों को संसूचित करते हुये आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

22/08/22

(डॉ० एन० सरवण कुमार)
सचिव
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक – 4726 दिनांक – 23/08/2022

प्रतिलिपिः– सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक – 4726 दिनांक – 23/08/2022

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक – 4726 दिनांक – 23/08/2022

प्रतिलिपिः– कृषि निदेशक, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, डी०बी०टी० कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक – 4726 दिनांक – 23/08/2022

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
कृषि विभाग, बिहार।